

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 26/3, 2025

आदेश

राज्य कर अधिकारी की प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2024-25 की घटित रिक्तियों (अनुपूरक चयन) पर पदोन्नति फारगो के सम्बन्ध में अपर आयुक्त ग्रेड-1, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ के माध्यम से श्री विपिन चन्द्र निर्मल, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, राज्य कर अलीगढ़ (कार्यालय संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, अलीगढ़ संभाग-ए, अलीगढ़ (ज्येष्ठता क्रमांक-458) का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

सरकारी सेवको द्वारा पदोन्नति से इन्कार (फारगो) किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या— 14 / 2022 / सैतालीस—का—1—2022 / 13(4) / 2022 दिनांक 06-10-2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार उपरोक्त कार्मिक द्वारा प्रस्तुत फारगो प्रार्थनापत्र/शपथपत्र सम्यक विचारोपरान्त इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है, कि भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में इनका नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं सरकारी सेवक द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए उन्हें भविष्य में, जनहित में, सम्वेदनशील/ महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं के सम्बन्ध में स्वविवेक से निर्णय लिया जायेगा।

(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1— जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ ।

2— संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु ।

3—पटल प्रभारी—स्था—5(ख) एवं चरित्र पंजिका प्रकोष्ठ (स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) राज्य कर मुख्यालय ।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।